चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/3274
दिनांक: 11.12.2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव
समस्त सम्बद्ध अनुदानित, चिकित्सकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश के क्रम में मानक निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 4112/26-3-2019 दिनांक 25.09.2019 एवं 3952/26-3-2019 दिनांक 12.09.2019 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान में ऐसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रम, जिनमें कक्षा-12 अर्थात इण्टरमीडिएट में प्राप्त अंको के आधार पर प्रवेश होता है, में बेंचमार्क 60 प्रतिशत वाले छात्र ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासानादेश का शत् प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
11.12.20
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)।
3. प्रभारी वेबसाइट।

कुलसचिव

संख्या–4250 / 26–3–2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण / जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 10 अक्टूबर, 2019

विषय– **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देश के कम में मानक निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4112 / 26–3–2019 दिनांक 25.09.2019 एवं शासनादेश संख्या–3952 / 26–3–2019 दिनांक 12.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में ऐसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रम, जिनमें कक्षा–12 अर्थात इण्टरमीडिएट में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश होता है, में बेंचमार्क 60 प्रतिशत वाले छात्र ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होने सम्बन्धी निर्देश दिये गये है।

2– इस संदर्भ में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरात निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या–4112 / 26–3–2019 दिनांक 25.09.2019 एवं शासनादेश संख्या–3952 / 26–3–2019 दिनांक 12.09.2019 को निरस्त करते हुये भारत सरकार के निर्देश के कम में वर्ष 2019–20 से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु "निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश कक्षा–12 अर्थात इण्टर मीडिएट में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है, में कक्षा–12 अर्थात इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले छात्र (मैनेजमेन्ट कोटा सीट / स्पॉट प्रवेश सीट को छोड़कर) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे"।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या–5229/26–3–2019

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

विषय– **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देश के क्रम में शासनादेश दिनांक–10.10.2019 को वर्ष 2019–20 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्र संख्या–2999/स0क0/शिक्षा–अ/3/154/2018–19, दिनांक–08.11.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देश के क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक–10.10.2019 में अंकित व्यवस्था को वर्ष 2020–21 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यकविचारोपरांत शासनादेश दिनांक–10.10.2019 को वर्ष 2019–20 से ही लागू करने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या 3603-06 /स0क0/शिक्षा–अ/3/154/2019–20,
लखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक।